नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) :

(क) बाट तथा माप अधिनियम व नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है । अतः अपेक्षित सूचना एकत्र की जाएगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) और (ग) बाट तथा माप मानक, अधिनियम, 1976 तथा उसका तदनुरूपी प्रवर्तन कानून अर्थात् बाट तथा माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 संसद में क्रमशः 1976 तथा 1985 के दौरान अधिनियमित किए गए हैं। इन कानूनों के तहत जाली बाटों का निर्माण, बिक्री तथा प्रयोग करना एक अपराध है। इस संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने पर उनसे निपटने के लिए उपयुक्त दण्डात्मक उपबंध मौजूद हैं। जाली बाटों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही के बारे में ब्यौरा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त किया जा रहा है और एक संकलित विवरण सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा द्विभाषी प्रकाशन

2298. श्री राम नरेश यादव : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रति वर्ष अंग्रेजी में कितने मानक प्रकाशित किए जाते हैं;

(ख) अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में कितने मानक प्रकाशित किए जाते हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन मानकों के हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशन की कोई योजना शुरू की है अथवा भविष्य में शुरू किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें कब तक प्रकाशित कर दिए जाने की संभावना है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) लगभग 800

(ख) अब तक हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में 207 भारतीय मानक प्रकाशित किए गए है । वर्ष के दौरान 11 द्विभाषिक मानक मुद्रित करवाए गए हैं और दिसम्बर, 1993 के दौरान 7 मानकों को हिन्दी में मुद्रित करवाया जाएगा ।

(ग) और (घ) सभी मानकों को द्विभाषिक रूप में साथ-साथ प्रकाशित करवाने की कोई योजना नहीं हैं । तथापि, उपभोक्ता हित के मानकों को चयनात्मक आधार पर द्विभाषी रूप में प्रकाशित करवाया जाता है । मानकों के हिन्दी अनुवाद को चरणबद्ध तरीकों से प्रकाशित करवाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं ।

EXCISE DUTY RELIEF TO CONSUMERS

2299. SHRI PRAMOD MAHAJAN :

will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) what are the names of industries which have passed on the entire excise duty relief to the consumers ;

(b) what are the names of industries which have partially passed on the relief;

(c) what are the names of industries which have not yet passed on the concessions to the consumers ;

(d) whether the Minister of Civil Supplies have brought the position to the notice of the Ministry of Finance in respect of industries which have not yet passed on the excise duty concessions to the consu- mers ; and